अहकाम की तामील

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2022 दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में राजीनामा होने की संभावना होने के कारण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जावे। जो निवेदन पर प्रकरण लोक अदालत बेंच में रखा जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के समक्ष पेश हो। विवेक व्यास उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	
12.11.22 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के समक्ष पेश हुई। पक्षकारान के उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली वास्ते पूर्व स्थिति बहस दिनांक 13.12.2022 को पेश हो। विवेक व्यास उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	
13.12.22 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 2 के वकील उपस्थित। शेष उत्तरदाता अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्तों की बहस सुनी। दौराने बहस वकील अपीलांट ने बताया कि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 के पिता खेताराम के नाम खातेदारी भूमि ग्राम डोली राजपुरोहितान तहसील विवेक व्यास 13.12.2022 उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:57 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

तारीख हुक्म	
	पचपदरा की खसरा नम्बर 88, 653, 654, 688, 738/1 व 801/7 कुल रकबा 21-13 बीघा कृषि आराजी की / खातेदार के फौत होने पर गये वारिसान नामान्तरकरण संख्या 326/30.12.98 में अपीलांट का वास्तविक नाम सत्यनारायण आचार्य के स्थान पर गलत नाम नारायणराम इन्द्राज किया गया। जबकि अपीलांट के वास्तविक नाम सत्यनारायण आचार्य है और अन्य सरकारी दस्तावेजों में भी वास्तविक नाम दर्ज है लेकिन विवादित नामान्तरकरण में गलत नाम इन्द्राज होने के कारण सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। अत: विवादित नामान्तरकरण निरस्त कर, विवादित खाते में अपीलांट का वास्तविक नाम सत्यनारायण आचार्य इन्द्राज करने का आदेश फरमावें।
	उत्तरदाता संख्या 02 वकील ने भी अपीलांट वकील की बहस का समर्थन करते हुए अपनी बहस में तर्क दिए कि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 02 सगे भाई है, जो मुतवफी [illegible] के पुत्र है. इनकी माता [illegible] का देहांत हो चुका है. इन दोनो के अलावा कोई वारिस नहीं है। विवादित

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verifie
Digitally signed by Vivek
Date: 2023.01.14 19:[illegible]2:5
Reason: SelfAttested

06/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जमी में अपीलांट का गलत नाम इन्द्राज हो रखा है, वास्तविक नाम अपील पत्र में दर्ज अनुसार रही है, अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है, तो आपत्ति नहीं है।	
हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रेकर्ड, दस्तावेजात का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। जिससे पाया कि ग्राम डोली राजगुरां तहसील पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 88, 653, 654, 688, 795/7, 801/7 कुल रकबा 21-13 बीघा जमीन के आवगी खातेदार सांवलाराम पुत्र रामरतन कौम आचार्य था। बेरू देह खातेदार के फौत होने वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 326/30.12.98 पारित हुआ, जिसमें अपीलांट का नाम नारायणलाल इन्द्राज किया गया। जबकि उत्तरदाता संख्या 2 लगा ने स्वीकार किया है, कि अपीलांट उनका भाई है और उनका वास्तविक नाम [illegible] आचार्य है। और रेकर्ड [illegible] में गलत नाम नारायण [illegible] कर दिया है। जबकि सरकारी दस्तावेज यथा — पेन कार्ड, वोटर, आधार कार्ड, में वास्तविक नाम सत्य नारायण आचार्य	

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	अंकित है। सरपंच, ग्रा.पं. डोली राजगुरा ने भी स्वीकार किया है कि विवादित नामान्तकरण में अपीलांट का नाम गलत इन्द्राज हुआ है। ऐसी सूरत में अपीलांट का वास्तविक नाम विवादित खाते में इन्द्राज होना वांछित होता है। लेकिन विवादित खाते में गलत नाम प्रविष्ट के कारण अपीलांट को हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में जब विवादित नामान्तकरण ही गलत अथवा अशुद्ध पारित हुआ है। वहां म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। उपरोक्त विवेचन उपरांत के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नवीन नामान्तकरण कानूनी पारदर्शिता के साथ भरा जावे। इसके लिए प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलांट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार कर स्वीकार की जाती है। सरपंच ग्राम पंचायत डोली की नामान्तकरण संख्या 306 दिनांक 30.12.1988 को पारित को निरस्त कर, प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार पचपदरा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:57 IS
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मुतवफी सांवलाराम के विधिक वारिसान, पंजीयन इत्यादि की समस्त जांच करते हुए अपीलाधीन भूमि का नामान्तरकरण विधिअनुसार पारित करें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 13.12.2022 उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:52:57 IST
Reason: SelfAttested